इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301] भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 सितम्बर 2023—आश्विन 5, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2023

क्र. 16174-191-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् २०२३

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, २०२३

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १९ सन् २०१७ का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.

३. धारा २ का संशोधन.

४. धारा २४ का संशोधन.

५. अनुसूची ३ का संशोधन.

६. संक्रमणकालीन उपबंध.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् २०२३

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, २०२३

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २७ सितम्बर, २०२३ को प्रथमबार प्रकाशित किया जाता है.]

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत: , राज्य के विधान-मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्यवाही करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, २०२३ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें:

परन्तु इस अध्यादेश के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अध्यादेश के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १९ सन् २०१७ का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ से ६ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में,—

(क) खण्ड (८०) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

''(८०क)''ऑनलाइन गेम खेलना'' से इंटरनेट या इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है;

(८०ख) ''ऑनलाइन धनीय गेम खोलना'' से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या थन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं;'';

(ख) खण्ड (१०२) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(१०२क) ''विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे'' से,—

(एक) दांव लगाने;

(दो) कैसिनो;

(तीन) द्यूतक्रीड़ा;

(चार) घुड़दौड़;

(पांच) लाटरी; या

(छह) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना,
में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है;'';

(ग) खण्ड (१०५) में, अंत में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या प्रबंध करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है, या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हो और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या हस्तांतरित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं; और इस अधिनियम के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार को लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिकार हो;'';

(घ) खण्ड (११७) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(११७क) ''आभासी डिजिटल आस्ति'' का वही अर्थ होगा, जो आयकर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४३) की धारा २ के खण्ड (४७क) में समनुदेशित है;'';

धारा २४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा २४ में, खण्ड (ग्यारह) में, अंत में, ''और'' का लोप किया जाए, उसके पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ग्यारह क) भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और

अनुसूची ३ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की अनुसूची ३ में, पैरा ६ में, शब्द ''लाटरी, दांव और द्यूत'' के स्थान पर, शब्द ''विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों'' स्थापित किए जाएं.

संक्रमणकालीन उपबंध.

६. इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे.

भोपाल :
तारीख २६ सितम्बर, २०२३

मंगुभाई छ. पटेल
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2023

क्र. 16174-191-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अध्यादेश, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
NO. 2 OF 2023

THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 2023

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.

2. Madhya Pradesh Act No. 19 of 2017 to be temporarily amended.

3. Amendment of Section 2.

4. Amendment of Section 24.

5. Amendment of Schedule III.

6. Transitory Provision.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
NO. 2 OF 2023

THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 2023

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th September, 2023.]

Promulgated by the Governor of Madhya Pradesh in the Seventy-fourth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance, namely:—

Short title and commencement. 1.(1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Ordinance and any reference in any such provision to the commencement of this Ordinance shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Madhya Pradesh Act No. 19 of 2017 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendments specified in Section 3 to 6.

Amendment of Section 2.

3. In Section 2 of the principal Act,—

(a) after clause (80), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(80A) "online gaming" means offering of a game on the internet or an electronic network and includes online money gaming;

(80B) "online money gaming" means online gaming in which players pay or deposit money or money's worth, including virtual digital assets, in the expectation of winning money or money's worth, including virtual digital assets, in any event including game, scheme, competition or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both and whether the same is permissible or otherwise under any other law for the time being in force;";

(b) after clause (102), the following clause shall be inserted namely:—

"(102A) "specified actionable claim" means the actionable claim involved in or by way of,—

(i) betting;

(ii) casinos;

(iii) gambling;

(iv) horse racing;

(v) lottery; or

(vi) online money gaming;";

(c) in clause (105), at the end, for the full stop, the colon shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that a person who organizes or arranges, directly or indirectly, supply of specified actionable claims, including a person who owns, operates or manages digital or electronic platform for such supply, shall be deemed to be a supplier of such actionable claims, whether such actionable claims are supplied by him or through him and whether consideration in money or money's worth, including virtual digital assets, for supply of such actionable claims is paid or conveyed to him or through him or placed at his disposal in any manner, and all the provisions of this Act shall apply to such supplier of specified actionable claims, as if he is the supplier liable to pay the tax in relation to the supply of such actionable claims;";

(d) after clause (117), the following clause shall be inserted, namely:—

"(117A) "virtual digital asset" shall have the same meaning as assigned to it in clause (47A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);";

Amendment of Section 24. 4. In Section 24 of the principal Act, in clause (xi), the word "and" occurring at the end, shall be omitted and thereafter the following clause shall be inserted, namely:—

"(xia) every person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India; and".

Amendment of Schedule III. 5. In Schedule III of the principal Act, in paragraph 6, for the words "lottery, betting and gambling" the words "specified actionable claims" shall be substituted.

Transitory provision. 6. The amendments made under this Act shall be without prejudice to the provisions of any other law for the time being in force, providing for prohibiting, restricting or regulating betting, casino, gambling, horse racing, lottery or online gaming.

MANGUBHAI C. PATEL
Governor,
Madhya Pradesh.

BHOPAL :
Dated the 26th September, 2023

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.